

E-mail


बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-7/स्था0 (अ0नि0)-01-05/2015.....521..... मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के निम्नांकित अवर निरीक्षक मद्य निषेध को लोक सभा चुनाव, 2019 के आलोक में चुनाव आयोग भारत सरकार के निदेश के अनुपालन हेतु निम्न प्रकार से स्थानान्तरित करते हुये कॉलम-05 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है -

क्र0	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन का जिला	गृह जिला	जहाँ पदस्थापित किये जाते हैं
1	2	3	4	5
1	श्री मो0 ताहिर हसन	गोपालगंज	पटना	सारण
2	श्री मुन्ना कुमार	मधुबनी	मुजफ्फरपुर	सिवान

- सभी स्थानान्तरित अवर निरीक्षक मद्य निषेध 03 दिनों के अंदर नवपदस्थापन जिला में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
- प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


13/02/19


(श्रीकृष्ण पासवान)
संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 7/स्था0 (अ0नि0)-01-05/2015

521

पटना, दिनांक...13.02.19

प्रतिलिपि :-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/02/19

संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक - 7/स्था0 (अ0नि0)-01-05/2015

521

पटना, दिनांक...13.02.19

प्रतिलिपि :-सभी समाहर्ता/सभी उपायुक्त मद्य निषेध/सभी सहायक आयुक्त मद्य निषेध/सभी अधीक्षक मद्य निषेध/सभी संबंधित अवर निरीक्षक मद्य निषेध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे स्थानान्तरित अवर निरीक्षक मद्य निषेध को योगदान देने हेतु निर्धारित समय सीमा के अंदर विरमित कर देंगे।


13/02/19

संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध,
बिहार, पटना।